रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082024-256012 CG-DL-E-02082024-256012

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2955]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2024/ श्रावण 11, 1946

No. 2955]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2024/ SHRAVANA 11, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2024

का.आ. 3097(अ).—जबिक, केंद्र सरकार ने, तारीख 8 जुलाई, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2660(अ), जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) तारीख 9 जुलाई 2024 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सिख्स फॉर जिस्टिस (एसएफजे) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने की अविध को 10 जुलाई, 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए विस्तारित किया है I

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, 'सिख्स फॉर जिस्टिस (एसएफजे)' को एक विधि विरुद्ध संगम की घोषणा का विस्तार करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं, न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय से मिलकर बनने वाले एक विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन करती है।

[फा. सं. 17014/21/2024 –IS.VII (पार्ट-II)]

अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

4827 GI/2024 (1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2024

S.O. 3097(E).—Whereas, the Central Government has extended the declaration of Sikhs for Justice (SFJ) as an unlawful association for a further period of five years from 10th July, 2024 *vide* notification number S.O. 2660(E), dated 08th July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 9th July, 2024.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes an Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Justice Anoop Kumar Mendiratta, Judge, High Court of Delhi for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for extending the declaration of 'Sikhs for Justice (SFJ)', as an unlawful association.

[F. No. 17014/21/2024 – IS.VII (Part-II)]
ANIL SUBRAMANIAM, Jt. Secy.